आदेश

जनपद गौतमबुद्धनगर में कोविड–19 महामारी के प्रसार की वर्तमान स्थितियों को दृष्टिगत तथा गृह(गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या–584/2021–सीएक्स–3, दिनांक 23.03.2021(छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से महामारी अधिनियम 1897 यथा संशोधित द्वारा महामारी अधिनियम(संशोधन) अध्यादेश 2020 में प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में अग्रिम आदेशों तक प्रस्तावित समस्त प्रकार की रेन डांस पार्टीज, मुक्त संगत नृत्य आयोजन तथा सम प्रकृति के आयोजन, पार्टीज प्रतिबंधित किए जाते है। पूर्व में ऐसे किसी भी पार्टी के आयोजन हेतु निर्गत समस्त प्रकार की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

इसके अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक जनपद गौतमबुद्धनगर में किसी भी आयोजन, जुलूस अथवा कार्यकम जिसमें जन–समुदाय का एकत्र होना प्रस्तावित अथवा सम्भावित हो, की अनुमति सक्षम स्तर से इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करनी होगी कि आयोजक द्वारा शासनादेश संख्या–584/2021–सीएक्स–3, दिनांक 23.03.2021 में निर्गत समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा तथा आयोजक द्वारा सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा प्रतिभाग न किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तद्नुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी सार्वजनिक आयोजन का प्रबंधन, होस्टिंग अथवा प्रतिभाग महामारी अधिनियम 1897 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधित) अध्यादेश 2020, आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। प्रत्येक सार्वजनिक आयोजन से पूर्व सम्बन्धित इन्सिडेन्ट कमाण्डर/नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी तथा सम्बन्धित स्थानीय पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस हेतु कोविड–19 से सम्बन्धित अनुमति प्रदान करने हेतु इन्सिडेन्ट कमाण्डर/नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सक्षम होगें तथा शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित अनुमति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त सक्षम होगें, जिनका विवरण एवं ई–मेल आई0डी0 निम्नवत् है :–

1.	नगर मजिस्ट्रेट नौएडा	city.mag.noida@gmail.com
2.	उप जिलाधिकारी सदर	sdmgbncourt@gmail.com
3.	उप जिलाधिकारी दादरी	sdmdadri011@gmail.com
4.	उप जिलाधिकारी जेवर	sdmjewar@gmail.com
5.	सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम, नोएडा जोन(थाना सेक्टर–20 व 39)	Acp-pol1noida.gb@up.gov.in
6.	सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय, नोएडा जोन(थाना सेक्टर–24 व 58)	Acp-pol2noida.gb@up.gov.in
7.	सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय, नोएडा जोन(थाना सेक्टर–49 व एक्सप्रेस–वे)	Acp-pol3noida.gb@up.gov.in
8.	सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम, सेन्ट्रल नोएडा जोन(थाना फेस–2 व फेस–3)	Acp-pol1cnoida.gb@up.gov.in
9.	सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय, सेन्ट्रल नोएडा जोन(थाना बिसरख व बादलपुर)	Acp-pol2cnoida.gb@up.gov.in
10.	सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय, सेन्ट्रल नोएडा	Acp-pol3cnoida.gb@up.gov.in

	जोन(थाना ईकोटेक–3 व सूरजपुर)	
11.	सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम, ग्रेटर नोएडा जोन(थाना बीटा–2 व नॉलेज पार्क)	Acp-pol1gnoida.gb@up.gov.in
12.	सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय, ग्रेटर नोएडा जोन(थाना दादरी व जारचा)	Acp-pol2gnoida.gb@up.gov.in
13.	सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय, ग्रेटर नोएडा जोन(थाना सेक्टर–कासना व ईकोटेक प्रथम दनकौर)	Acp-pol3gnoida.gb@up.gov.in
14.	सहायक पुलिस आयुक्त चतुर्थ, ग्रेटर नोएडा जोन(थाना जेवर व रबूपुरा)	Acp-pol4gnoida.gb@up.gov.in

संलग्नकः– यथोक्त।

ह0 ह0

(सुहास एल.वाई.)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

(आलोक सिंह)
पुलिस आयुक्त
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 764/कोविड–19/सी0आर0ए0/2020–21 दिनाक 25.03.2021

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनाथ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज/नोडल अधिकारी लखनऊ, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अपर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
5. समस्त उप पुलिस आयुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
6. समस्त नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
7. जिला आबकारी अधिकारी/जिला वाणिज्य एवं मनोरंजन कर अधिकारी गौतमबुद्धनगर को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
8. अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश सहित प्रेषित कि इस आशय का प्रकाषन विभिन्न समाचार–पत्रों में कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।
11. समस्त थानाध्यक्ष जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

24/3/2021

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

24/3/21

पुलिस आयुक्त
गौतमबुद्धनगर